न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या —142 / 2017 अपील (RCMS/2017/00077)
पंजीयन दिनांक —14.11.2017
निर्णय दिनांक —15.01.2019

1. श्री सोहनलाल पिता श्री गणेशलाल शर्मा, निवासी मऊ, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द।

—अपीलान्ट

बनाम

1. स्थान गोराजी स्थानदेह माऊ, जरिये तहसीलदार, रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा, जिला राजसमन्द।

—रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितिः—
1. श्री सम्पतलाल बोहरा — वकील अपीलान्ट
2. श्री योगेन्द्र दशोरा, राजकीय अभिभाषक — वकील रेस्पोडेंटस्

अपील अर्न्तगत धारा—75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय लेण्ड रेकर्ड ऑफिसर (उपखण्ड अधिकारी), रेलमगरा, प्रकरण संख्या 168 / 2014 दिनांक 16.05.2017

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 15.01.2019

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अर्न्तगत धारा—75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय लेण्ड रेकर्ड ऑफिसर (उपखण्ड अधिकारी), रेलमगरा, प्रकरण संख्या 168 / 2014 दिनांक 16.05.2017 के विरुद्ध पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम के पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट के पिता गणेशलाल शर्मा एवं काका बद्रीलाल ने

ग्राम माऊ तहसील रेलमगरा में साबिक आराजी संख्या 235 रकबा 8 बिस्वा भूमि कालू वल्द पृथ्वीराज निवासी मऊ से जरिये विक्रय पत्र से क्रय की जिसके पडौस पूर्व–खेत में जाने का रास्ता, पश्चिम–सवाईराम जी का नोहरा, उत्तर–कुरज जाने का रास्ता, दक्षिण–विक्रेता–कालू कुमावत की शेष भूमि, इस भूमि के पूर्व की तरफ खेत में जाने का रास्ता व उत्तर–पूर्व की तरफ साबिक आराजी नम्बर 237 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि स्थित है। यह भूमि अपीलान्ट के क्रयशुदा भूमि के पूर्व में स्थित रास्ते के पश्चात् व उत्तर–पूर्व की ओर स्थित रही है। सेटलमेंन्ट से पूर्व रेलमगरा की जरीब 152.5 फीट की थी, इस अनुसार इस आराजी का क्षेत्रफल 1 बीघा 6 बिस्वा था, सेटलमेंट के बाद जरीब 132 फीट की रह गयी। इस अनुसार भूमि का क्षेत्रफल 1 बीघा 15 बिस्वा बनता है तथा नक्शें में भी यह आराजी साबिक आराजी नम्बर 238 के उत्तरी पूर्वी कोने से उत्तर–पूर्व की ओर स्थित रही। साबिक आराजी नम्बर 238 के उत्तर में आराजी संख्या–237 का कोई भाग नहीं था तथा कुरज जाने का रास्ता विद्यमान था। सेटलमेंट के दौरान साबिक आराजी नम्बर 237 का वर्तमान आराजी नम्बर 306 बना। परन्तु सेटलमेंट वालों ने भूल से इस आराजी का रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा अंकित कर दिया गया जबकि इस आराजी का रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा बनना चाहिए था। सेटलमेंट वालों ने साबिक आराजी नम्बर 237 का जो नक्शा बनाया वह भी ज्यादा बना दिया तथा प्रार्थी के क्रयशुदा आराजी के उत्तर तक गलत रूप से नक्शें में अंकित कर दिया। सेटलमेंट वालों की गलती से नक्शें में एवं रकबें में जो साबिक आराजी नम्बर 237 के नये नम्बर 306 पडे का 0.06 बिस्वा भूमि ज्यादा अंकित कर दी गई। नक्शें में भी आराजी नम्बर 306 को पश्चिम की ओर बढ़ाते हुए दर्शित की है। उक्त गलतियों में सुधार हेतु अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय लेण्ड रेकर्ड ऑफिसर (उपखण्ड अधिकारी), रेलमगरा द्वारा प्रकरण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2017 के तहत ग्राम पंचायत गोगाथला पर आयोजित शिविर में रख कर निर्णय दिनांक 16.05.2017 से अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का अस्वीकार किया।

उक्त निर्णय से क्षुब्ध होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील पक्षकारान उपस्थित जिनकी बहस दिनांक 08.01.2019 को सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की उपस्थिति में फैसला नहीं करके राज्य सरकार द्वारा आयोजित राजस्व

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2017 के तहत ग्राम पंचायत गोगाथला पर आयोजित शिविर में रखा जिसकी सूचना अपीलार्थी को नहीं गई और अपीलार्थी की अनुपस्थिति में उपस्थिति बताकर निर्णय पारित किया जो गलत होकर काबिल निरस्त के है। उक्त परिस्थितियों में अपीलार्थी को निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी और जानकारी होते ही नकल प्राप्त कर अपील पेश की गई और अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु पृथक से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मयाद अधिनियम का प्रस्तुत किया। अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर देरी नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपीलान्ट ने साबिक नक्शा व हाल नक्शा पेश किया है तथा साबिक जमाबन्दी की नकल व हाल जमाबन्दी की नकल पेश की। यहां तक की भू–प्रबन्ध विभाग के खसरा मिलान की नकल पेश की गई जिससें उक्त त्रुटियां स्पष्ट प्रतीत होती है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इनको नजदअंदान कर प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर निर्णय पारित किया जो काबिल निरस्त के है। अधीनस्थ न्यायालय को साबिक सेटलमेंट के इन्द्राज को ही रिपीट करना होता है। सेटलमेंट विभाग को इन्द्राज बदलने का कोई अधिकार नहीं होते हुए भी जो आदेश पारित किया है वह गलत होकर काबिल निरस्त के है।

अन्त में विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.05.2017 को निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने बाबत अनुरोध किया हैएवं निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत पेश किया है–RRT 2010(1) 548, RRT 2013(1) 391, RRT 2002(2) 783, RRT 2012(2) 814, RBJ (13) 2006 P 205.

रेस्पोडेंटस् की ओर से विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अपीलार्थी का कथन यह कथन बिल्कुल असत्य है कि राजस्व लोक अदालत में प्रकरण रखे जाने से पूर्व उसको सूचित नहीं किया गया और उसकी उपस्थिति बताकर उनकी अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर दिनांक 02.05.2017 की आदेशिका पर पक्षकारों का सूचित करने एवं आदेशिका दिनांक 16.05. 2017 पर उभय पक्षों की उपस्थिति वर्णित की जाकर बहस सूने जाने का अंकन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उभय पक्ष के पक्षकारों का सूचित कर उनकी बहस सुनकर निर्णय पारित किया गया जो पूर्णतया विधिसम्मत है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के कारण मनगढ़त होकर मयाद के बिन्दु पर ही अपील को खारिज किया जाना आवश्यक है, जिसे सवप्रर्थम तय किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा समक्ष नायब तहसीलदार, रेलमगरा से जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त किया गया जिसके अनुसार भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा गत आराजी नम्बर 237 का नवीन न. 306 को जो नक्शा बनाया जो सही है। नक्शें में आराजी नम्बर 306 को गत नक्शे अनुसार ही दर्शाया गया है। अपीलार्थी द्वारा कही भी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह स्पष्ट नहीं किया गया है वादग्रस्त आराजी का बढ़ा हुआ क्षैत्रफल किस आराजी में से कम हुआ है जिसकी शुद्धि की जा सकें। नायब तहसीलदार अनुसार भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा गत आराजी नम्बर 237 का नवीन न. 306 को जो नक्शा बनाया जो सही है। नक्शें में आराजी नम्बर 306 को गत नक्शे अनुसार ही दर्शाया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में समस्त तथ्यों पर पूर्णतया विचार कर निर्णय पारित कर प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जो पूर्णतया विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय निर्णय यथावत रखा जावें।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया।

विद्वान अपील अपीलान्ट द्वारा अपने कथन में कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अपीलान्ट को कोई सूचना प्रदान नहीं की गई, अपीलार्थी की अनुपस्थिति में उपस्थिति बताकर निर्णय पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत अभियान में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की मूल भावना व स्कोप से बाहर जाकर निर्णय पारित किया गया है। उक्त परिस्थितियों के मद्देनजर अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी न होना स्वाभाविक होकर अपील देरी से प्रस्तुत करने के कारण उचित एवं सतोंषप्रद प्रतीत होता है एवं ऐसी स्थिति में मामला गुणावगुण पर विचारण योग्य होने से अपील अन्दर मयाद मानी जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपीलान्ट ने साबिक नक्शा व हाल नक्शा पेश किया है तथा साबिक जमाबन्दी की नकल व हाल जमाबन्दी की नकल पेश की। भू–प्रबन्ध विभाग के खसरा मिलान की नकल पेश की गई। जिस पर प्रथम दृष्टया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचार किया जाना प्रतीत नहीं होता है। विद्वान वकील अपीलान्ट ने कथन किया कि सेटलमेंट वालों ने साबिक आराजी नम्बर 237 का जो नक्शा बनाया वह भी ज्यादा बना दिया तथा प्रार्थी के क्रयशुदा आराजी के उत्तर तक गलत रूप से नक्शें में अंकित कर दिया। सेटलमेंट वालों की गलती से नक्शें में एवं रकबें में जो साबिक आराजी नम्बर 237 के नये नम्बर 306 पडे का 0.06 बिस्वा भूमि ज्यादा अंकित कर दी गई। नक्शें में भी आराजी नम्बर 306 को पश्चिम की ओर बढ़ाते हुए दर्शित की है। विधि का सारवान सिद्वान्त है कि राजस्व रेकर्ड में कोई भी प्रविष्ट का भू–प्रबन्ध विभाग को बदलने का अधिकार नहीं है, पूर्व की प्रविष्टि को दोहराने का अधिकार भू–प्रबन्ध विभाग को प्राप्त है, यानि सेटलमेंट के दौरान भू–प्रबन्ध अधिकारी को पूर्व प्रविष्टियों को जैसी है वैसी ही राजस्व रेकार्ड में अंकित करनी होगी।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपरोक्त परिस्थितियों, पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों और कानूनी बिन्दुओं पर विचार एवं विश्लेषण नहीं कर, पारित किया अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.05.2017 पूर्णतया विधि स्वरूप न होकर अपास्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवचेनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। लेण्ड रेकार्ड ऑफिसर (उपखण्ड अधिकारी), रेलमगरा का निर्णय का दिनांक 16.05.2017 Bad in law होकर अपास्त किया जाता है। प्रार्थी/अपीलार्थीगण अग्रिम कार्यवाही के लिए स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official